न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
20-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 02-01-25 को पेश हो।
02.01.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट की आवश्यकता प्रतित नहीं होने से उक्त वादपत्र में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 20.01.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
20.01.2025	पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जा[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद त[illegible] (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
106 / 2022	2022 / 182	05.08.2022	20.01.2025

उनवान प्रकरण

1. सायरमल पुत्र चन्द्राराम आयु 73 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डुस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादी–

बनाम्

1. धोलुराम पुत्र भूरा
2. रामनिवास पुत्र भूरा
3. सीता देवी पुत्री भूरा
4. माली देवी पुत्री भूरा
5. कमला देवी पुत्री भूरा
6. बोदू पुत्र मोती
7. रामोतार पुत्र मोती
8. सीताराम पुत्र मोती
9. गुलाबी देवी पुत्री मोती

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

10. श्रवणी देवी पुत्री मोती

11. तीजा देवी पुत्री मोती

समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम मण्डुरया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

12. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

श्री रामावतार सेनी–I, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से।

दावा बाबत् उद्घोषणा
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.64 हैक्टर तन ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं उक्त भूमि खसरा नम्बर 1586 के 1/5 हिस्से का वादी सायरमल काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। इस भूमि से प्रतिवादीगण का कभी कोई संबंध नही रहा है। वादी व प्रतिवादीगण तीनो सगे भाई हैं जिनके पारिवारिक विभाजन से पूर्व संपूर्ण भूमि शामलाती खातेदारी में दर्ज थी। तत्पश्चात भूमि खसरा नम्ब्र 1501, 1503, 1505, 1508 से 1510 कुल किता 7 कुल रकबा 2.90 हैक्टर का वादी के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा व खसरा नम्बर 1507 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के हिस्सा में आने से तथा इसी अनुसार ग्राम मोद्याडी की भूमि खसरा नम्बर 639, 640, 675, 675/1891 का 1/5 हिस्सा व खसरा नम्बर [illegible] का 1/10 हिस्सा भी प्रतिवादीगण के हिस्से में आने से वादीगण ने उक्त [illegible] का अपने सगे भाई व प्रतिवादीगण के पूर्वज भूरा व मोती के [illegible] को उपहार लेख तस्दीक करवा दिया था। वादी द्वारा उक्त वर्णित भूमियों का प्रतिवादीगण के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

करवाये गये उपहार लेख के अलावा अन्य भूमि खसरा नम्ब 1586 से प्रतिवादीगण को कोई संबंध नही है ना खसरा नम्बर 1586 का वादी ने प्रतिवादी के नाम किसी भी प्रकार का उपहार लेख तस्दीक किया है परन्तु उपहार लेख दिनांक 09.06.2017 के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करते समय पटवार हल्का व तहसीलदार ने वादी के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1586 के 1/5 हिस्से की खातेदारी भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जबकि उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को वादी के कब्जे व अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 1586 की प्रतिवादीगण के नाम नामान्तरण भरकर खातेदारी करने का कोई अधिकार नही था। अतः नामान्तरण संख्या 1111 प्रतिवादी संख्या 12 की गलत व अवैध व मनमानी कार्यवाही है लिहाजा वादी को खसरा नम्बर 1586 के 1/5 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 1586 के 1/5 हिस्से से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है तथा वादी इस आशय की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी हैं वादी को उसकी भूमि खसरा नम्बर 1586 की प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी नम्बर 12 के समक्ष दिनांक 12.05.2022 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी नम्बर 12 ने पहले तो इस हेतु हा भर ली तत्पश्चात अधिक समय बीत जाने से स्वयं के क्षेत्राधिकार से बाहर होना बताकर सक्षम न्यायालय से उद्घोषणा हेतु आदेशित करने से वाद कारण पैदा होकर दावा करना लाजिम आया हैं। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.64 हैक्टर तन ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 1/5 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तदनुसार इस भूमि की खातेदारी से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 का नाम हजफ किए जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये तीन माह से भी अधिक का समय हो जाने तथा बावजूद तामील हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या–1 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में वादी सायरमल पुत्र चन्द्राराम का लिखितशुदा शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में पेश किया। वकील वादी ने वादपत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एव राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दीयॉं, प्रमाणित प्रति उपहार लेख दिनांक 09.06.2017, नामांतकरण पंजिका, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से (उपहार लेख दिनांक 09.06.2017 के अनुसार उक्त भूमि का हकत्याग वादी द्वारा नहीं किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है जिससे उक्त हकत्याग के नामांतरण में राजस्व कर्मियों द्वारा खसरा नम्बर 1586 मे वादी के हिस्से का नामांतरण प्रतिवादीगण के नाम गलती/सहवन से दर्ज होना प्रतीत होता है जिससे उक्त भूमियों की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर व उक्त खसरा से वादी के इस हिस्से तक प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है) इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.64 हैक्टर तन ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 1/5 हिस्सा का वादी का काबिज खातेदार काश्तकार होना प्रकट होता है। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में वादी सायरमल पुत्र चन्द्राराम का लिखितशुदा शपथ पत्र से वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। उक्त विवेचन के अनुसार वादी को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत उद्घोषणा को स्वीकार किया जाता है कि वादी उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.64 हैक्टर तन ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 1/5 हिस्से का वादी को खा[illegible]श्तकार घोषित किया जावे तदनुसार इस भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी[illegible] का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी [illegible] नाम दर्ज किये जाकर दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की भूमि के कब्जा में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested